

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011 के अंतर्गत जिला पदाधिकारी, नालंदा के ज्ञापांक 307 दिनांक 13.05.15 एवं श्रम अधीक्षक के पत्रांक 484 दिनांक 11.7.17, 561 दिनांक 03.08.2017 से स्वाभाविक मृत्यु में 01 श्रमिक के आश्रितों को ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) मात्र भुगतान हेतु अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगार के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र. सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उम्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम( संबंध )	पता	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम	आई.एफ. एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का व्यौरा
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० विद्यानंद प्रसाद, स्व० देवनारायण यादव, सामान्य	श्रीमती काँति देवी( पत्नी)	ग्राम०+पो०+था०-तेल्हाड़ा, प्र०-एकंगरसराय, नालंदा	719517001 16147	MBGB	PUNBOM BGB06	₹ 6000/- (छः हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु
		श्री कुंदन कुमार( पुत्र)		302276784 86	भारतीय स्टेट बैंक	SBIN000 3115	₹ 6000/- (छः हजार रूपए)	
		श्री चंदन कुमार( पुत्र)		308647298 55	भारतीय स्टेट बैंक	SBIN000 3115	₹ 6000/- (छः हजार रूपए)	
		सुश्री ज्योति कुमारी( पुत्री)		155601001 6755	United Bank of India	UTBIOBC MK42	₹ 6000/- (छः हजार रूपए)	
		सुश्री नेहा कुमारी( पुत्री)		445910510 000311	Bank of India	BKID000 4459	₹ 6000/- (छः हजार रूपए)	

कुल :- ₹ 30000/-  
( तीस हजार रूपए )

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 5 में किया जाएगा।

4. प्रस्ताव में सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति-सह-प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना का संचिका सं० श्रम क० सं०-29/2015 के पृष्ठ-28/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह०/-  
(डा० गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :-श्रम क० सं०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित

करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- सचिव, बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

उक्त लाभुकों को बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाए।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि ₹ 30000/- (तीस हजार रूपए) का बैंक से अंतरण के पश्चात लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- श्रम अधीक्षक, नालंदा को उनके पत्रांक 484 दिनांक 11.7.17, 561 दिनांक 03.08.2017 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, नालंदा को उनके ज्ञापांक 307 दिनांक 13.05.15 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

ह0/-  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह0/-  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।

ज्ञाप संख्या :- श्रम क० स०-29/2015-560

पटना, दिनांक :- 14-12-17

प्रतिलिपि :- आई0टी0 मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

3/6/21  
14.12.17  
(अजय कुमार सिंह)  
लिपिक

14/12/17  
(डा0 गणेश कुमार झा)  
मुख्य वित्त पदाधिकारी

14/12/17  
(गोपाल मीणा)  
कार्यकारी निदेशक।